

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

निगरानी प्रकरण संख्या 37/22

1. गुरतेज सिंह पुत्र श्री सिकतर सिंह जाति जटसिख उम्र 40 वर्ष निवासी चक 47 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

1. ग्राम पंचायत 50 एफ (रूपनगर) तहसील करणपुर।
2. परमिन्द्र कौर पत्नि श्री कुलदीपसिंह निवासी 47 एफ तहसील करणपुर।
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील करणपुर।

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

1. श्री जसवीर सिंह मिशन, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री जरनैलसिंह टूराना एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।
3. श्री तेजा सिंह संधू एडवोकेट, अप्रार्थी-संख्या-03 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता



॥ निर्णय ॥

दिनांक: 16.06.2023

निगरानीकर्ता द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोंडेन्टस के खिलाफ निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता चक 47 एफ तहसील करणपुर का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता व अन्य ग्रामवासियों के बच्चे इसी गांव में स्थित स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल के पास विद्यालय भवन आदि के अलावा बच्चों के खेलकूद आदि के लिए करीब 200 गुणा 100 फुट जगह होने से बच्चे खेलते आये, इस भूमि पर नाजायज कब्जा होने तथा नाजायज कब्जा को हटवाने के लिए गांववासियों द्वारा कार्यवाही करने पर पता चला कि स्कूल के बच्चों को खेलने के मैदान की जगह 100 गुणा 100 फीट का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके गलत तरीके से पट्टा दिनांक 20.04.1990 को जारी करवाया गया। ग्राम पंचायत 50 एफ (रूपनगर) अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच द्वारा व सचिव द्वारा अपने लैटरपेड पर दिनांक 29.07.2022 को लिख कर दिया कि गांव 47 एफ का अहाता नंबर 136, 137 दिनांक 01.09.1976 को प्राथमिक पाठशाला 47 एफ स्कूल ग्राउण्ड के लिये थी और अहाता नंबर 136, 137 से संबंधित रिकॉर्ड 1989 से 1994 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है जबकि अहाता संख्या 136, 137 दोनों दिनांक 20.04.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा काटे गये थे। उपरोक्त जगह न केवल अत्यधिक कीमती है बल्कि बच्चों के खेलने के मैदान की जगह है। यदि आवादी की जगह भी होती तो भी इस प्रकार कीमती जगह को केवलमात्र 392 रुपये में किसी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकता था, अतः तत्कालीन सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग कर पंचायत कार्यालय को भी अत्यधिक हानि पहुंचायी है। नीलामी आम में आवादी भूमि को विक्रय करने के लिए नियमों के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर आवश्यक आपति नोटिस जारी करना व चरपा तथा ढोल बुनियायदी आदि ऐसा प्रचार कुछ भी नहीं किया गया। पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर नीलामी की पुष्टि करवाकर ही राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकता है परन्तु उक्त मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तीन रोज की बोली व किसकी बोली अधिक आयी ऐसा कोई कहीं भी दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि यह पट्टा 136 नंबर गलत व फर्जी तरीके से जारी किया गया है और 136 नंबर अहाता का जब पट्टा बनाया गया तो उसमें गवाह के रूप में मोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं। वह मोहन सिंह के हस्ताक्षर नहीं है जिसका हलफनामा मोहन सिंह ने दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की जगह किसी भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम मीटिंग व कमेटी की जांच रिपोर्ट कब्जा आदि की रिपोर्ट मंगवाकर प्रस्ताव पास कर नीलामी की कार्यवाही की जाती है। उक्त पट्टा जारी करने में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। अतः पट्टा की वैधता की जांच कर पट्टों को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि निगरानीकर्ता चक 47 एफ तहसील करणपुर का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता व अन्य ग्रामवासियों के बच्चे इसी गांव में स्थित स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल के पास विद्यालय भवन आदि के अलावा बच्चों के खेलकूद आदि के लिए करीब 200 गुणा 100 फुट जगह होने से बच्चे खेलते आये, इस भूमि पर नाजायज कब्जा होने तथा नाजायज कब्जा को हटवाने के लिए गांववासियों द्वारा कार्यवाही करने पर पता चला कि स्कूल के बच्चों को खेलने के मैदान की जगह 100 गुणा 100 फीट का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके गलत तरीके से पट्टा दिनांक 20.04.1990 को जारी करवाया गया। ग्राम पंचायत 50 एफ (रूपनगर) अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच द्वारा व सचिव द्वारा अपने लैटरपेड पर दिनांक 29.07.2022 को लिख कर दिया कि गांव 47 एफ का अहाता नंबर 136, 137 दिनांक 01.09.1976 को प्राथमिक पाठशाला 47 एफ स्कूल ग्राउण्ड के लिये थी और अहाता नंबर 136, 137 से संबंधित रिकॉर्ड 1989 से 1994 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है जबकि अहाता संख्या 136, 137 दोनों दिनांक 20.04.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा काटे गये थे। उपरोक्त जगह न केवल अत्यधिक कीमती है बल्कि बच्चों के खेलने के मैदान की जगह है। यदि आबादी की जगह भी होती तो भी इस प्रकार कीमती जगह को केवलमात्र 392 रुपये में किसी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकता था, अतः तत्कालीन सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग कर पंचायत कार्यालय को भी अत्यधिक हानि पहुंचायी है। नीलामी आम में आबादी भूमि को विक्रय करने के लिए नियमों के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर आवश्यक आपति नोटिस जारी करना व चरपा तथा डोल बुनियायदी आदि ऐसा प्रचार कुछ भी नहीं किया गया। पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर नीलामी की पुष्टि करवाकर ही राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकता है परन्तु उक्त मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तीन रोज की बोली व किसकी बोली अधिक आयी ऐसा कोई कहीं भी दर्ज नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि यह पट्टा 136 नंबर गलत व फर्जी तरीके से जारी किया गया है और 136 नंबर अहाता का जब पट्टा बनाया गया तो उसमें गवाह के रूप में मोहन सिंह के हस्ताक्षर हैं। वह मोहन सिंह के हस्ताक्षर नहीं है जिसका हलफनामा मोहन सिंह ने दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की जगह किसी भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम मीटिंग व कमेटी की जांच रिपोर्ट कब्जा आदि की रिपोर्ट मंगवाकर प्रस्ताव पास कर नीलामी की कार्यवाही की जाती है। उक्त पट्टा जारी करने में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। इस प्रकार निवेदन किया है कि पट्टों की वैधता की जांच की जाकर पट्टों को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अहाता संख्या 136 दिनांक 20.04.1990 को प्रस्ताव संख्या 06 की क्रम संख्या 13 पर आवंटी परमिन्द्रकौर को विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन किया गया है। उक्त अहाता सन् 1990 विधिवत् बोली प्रक्रिया अपनाई जाकर जरिये बोली परमिन्द्रकौर द्वारा अधिकतम बोली 602/-रुपये होने पर उक्त अहाता आवंटन किया गया था। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 गुरविन्द्रसिंह द्वारा उक्त अहाता जरिये वैयनामा दिनांक 16.12.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकर्ता)
श्रीगंगानगर



2010 को कय किया गया है। निगरानीकर्ता के कथनानुसार उक्त भूमि स्कूल का ग्राउण्ड है जबकि स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग की किसी भी संस्था को उक्त निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार मुद्दा प्रार्थी को परेशान करने के नियत से निगरानी दायर की गई जबकि अहाता संख्या 136 वर्ष 1990 को सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटित किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 के अंतर्गत मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किए कि-

1. यह निगरानी ग्राम पंचायत 50 एफ के आदेश दिनांक 20.04.1990 के विरुद्ध पेश की गयी है जो कि 32 वर्ष बाद पेश की गयी है। साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा मियाद में छूट हेतु धारा 5 का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया, अतः निगरानी पोषणीय नहीं है, खारिज करने योग्य है।

2. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा दूसरे प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 पर बहस करते हुए कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करते समय पंचायत आदेश दिनांक 20.04.1990 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की, अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है।

3. अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा आगे कथन किये गये कि यह निगरानी किसी भी सूत्र में चलने योग्य नहीं है क्योंकि निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता का प्रश्नगत भूमि में कोई हक/अधिकार निहित नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा तृतीय पक्षकार के रूप में निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गयी। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं है। यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। पंचायत रिकॉर्ड से यह साबित है कि ग्राम पंचायत 47 एफ के अहाता संख्या 136 दिनांक 20.04.1990 को प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा आवंटी परमिन्द्रकौर को विधिवत् बोली प्रक्रिया अपनाई जाकर अधिकतम बोली पर यह भूखण्ड आवंटित किया गया था। रसीद बुक में भी इसकी प्रविष्टि है। परमिन्द्रकौर द्वारा उक्त भूखण्ड को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 गुरुविन्द्रसिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख को दिनांक 16.12.2010 को विक्रय किया गया था। अतः पंचायत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.04.1990 को पारित किया गया है जबकि निगरानी 32 वर्ष बाद दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत की गयी है एवं निगरानी के साथ में आदेश दिनांक 20.04.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गयी। निगरानीकर्ता द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड में उनका हित किस प्रकार निहित है। तृतीय पक्षकार के रूप में निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं ली गयी। यद्यपि निगरानी प्रस्तुत करने में कोई मियाद निर्धारित नहीं है परन्तु निगरानी प्रस्तुत करने हेतु reasonable time होना आवश्यक है। उक्त निगरानी 32 वर्ष बाद पेश की गयी है एवं विलम्ब माफी हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 137 एवं न्यायिक दृष्टांत 2019 डीएनजे(एससी)1067 में निर्देश है कि "No periods of limitation prescribed under the act- provision article 137 of limitation act would apply" जहां मियाद निर्धारित नहीं है वहां आवेदन हेतु प्रोद्भूत होने से 3 वर्ष की अवधि मियाद मानी जावेगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी मियाद बाहर, प्रमाणित प्रतिलिपि के बिना प्रस्तुत करने एवं तृतीय पक्षकार के रूप में बिना अनुमति लिए प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता का प्रश्नगत भूखण्ड में कोई हित निहित नहीं है। निगरानी प्रस्तुत करने में विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति/संबंधित शिक्षा

श्रीगंगानगर
संयोजक कलेक्टर (सतकर्ता)



अधिकारी विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः निगरानीकर्ता निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पुनः लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



SM
(उम्मेद सिंह रतन)

अतिरिक्त न्यायाधीश (समर्पण)
श्रीमान न्यायाधीश (सि.जे.ए.)